



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935

No. 192]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(भूमि लागत निर्धारण शाखा)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

विषय:—शैक्षणिक संस्थानों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य-देखभाल और अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट मिली हुई है, के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों में छूट देना।

का.आ. 240 (अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सोसाइटियों/स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर से छूट प्राप्त है, के सांस्थानिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों पर लागू होने वाली दरों के निर्धारण के संबंध में दिनांक 17-07-2012 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1606(अ) में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है :

मद	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार अधिसूचना संख्या का.आ. 2955 (अ) का 6 (जी) दिनांक 23.12.2008	शैक्षणिक सोसाइटियों/स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर से छूट प्राप्त है, उनसे कोई अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।	शैक्षणिक सोसाइटियों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है, उनसे कोई अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे।

अधिसूचना संख्या का.आ. 2955(अ) दिनांक 23-12-2008 की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों में छूट भारत सरकार द्वारा भविष्य में संशोधन करने और अधिसूचना जारी करने तक लागू रहेगी।

[फा. सं.—एफ 2(163)07/ए.ओ.(पी.)पार्ट-II]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(LAND COSTING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2014

Subject :- Exempting additional FAR charges in respect of Educational institutions/Trusts, Health-care and other Social Welfare Societies etc. having exemption from income- tax under Income Tax Act, 1961.

S.O. 240 (E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following further modification to Notification No. S. O. 1606 (E), published on 17.07.2012 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to fixation of rates to be applied for additional FAR charges for Institutional plots for Educational Societies/Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption.

Item	Existing Provision	Modified Provision
Additional FAR charges for Institutional plots 6(g) of notification No. S.O. 2955(E) dated 23.12.2008	No additional FAR charges to be recovered from Educational Societies/Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption.	No additional FAR charges to be recovered from Educational Societies/Trusts, Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption under Income Tax Act, 1961.

The other contents of the notification No. S.O. 2955(E) dated 23.12.2008 will remain unchanged.

The exemption of additional FAR charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.

[F. No. F2 (163)07/AO(P)Pt.-II]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.